

पृ. क्र0 / इम./ छा.वृ./ 2021-22 / 173/

सागर, दिनांक :- 28 / 01 / 2022

पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति संबंधी सूचना

संस्था में अध्ययनरत वर्ष 2021-22 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में प्रवेशित एस.सी.ए.स.टी. एवं ओ.बी.सी. वर्ग के विद्यार्थी, जो पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क में छूट या छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं वे एम.पी. स्कॉलरशिप ऑन लाईन पोर्टल पर आवेदन करें एवं हार्ड कॉपी प्रिंट करके निम्नलिखित दस्तावेजों सहित संस्था के छात्रवृत्ति शाखा/नोडल सेंटर में आवश्यक रूप से जमा करावे :-
नोट :-

1. समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को ई- प्रोफाइल पंजीयन प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य है।
2. एस.टी वर्ग के समस्त छात्र/छात्रायें पूर्ववत् www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति का आवेदन करेंगे।
3. विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार आधारित या आधार से लिंक हो (NPCI Active)
4. बैंक खाते कियोस्क के न हो, किसी बैंक ब्रांच में ही हों ताकि खाते में जमा/निकासी की सीमा की समस्या न हो।
5. खाते की लिमिट लगभग 100000 या इससे अधिक हो।
6. जाति प्रमाण पत्र डिजिटल होना आवश्यक है।
7. आय प्रमाण पत्र स्वयं का मान्य नहीं होगा। डिजिटल आय प्रमाण पत्र पिता का होना चाहिए यदि पिता नहीं है तो मां की आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।

छात्रवृत्ति फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज निम्न क्रम में संलग्न करे :-

1. छात्रवृत्ति का ऑनलाईन भरा हुआ आवेदन पत्र।
2. पिता/माता (एक अथवा दोनों की) शासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोजक द्वारा प्रदाय किया हुआ फार्म 16 की अनिवार्य रूप से छायाप्रति जमा करें।
3. पिता के नाम से आय का आय शपथ प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. डिजिटल स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
5. मध्यप्रदेश का डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
6. विद्यार्थी के नाम बैंक पास बुक की छाया प्रति आई.एफ.एस.सी कोड सहित।
7. आधार कार्ड की छाया प्रति।
8. समग्र आई डी की छाया प्रति।
9. फीस रसीद की छाया प्रति।
10. एडमिशन रसीद की छाया प्रति।
11. नवीन आवेदित छात्र/छात्रायें दसवीं, बारहवीं एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनिवार्यतः।
12. लेटरल एंट्री के छात्र/छात्रायें डिप्लोमा एवं दसवीं की अंकसूची की छाया प्रति।
13. नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें सभी सेमेस्टर की अंकसूची की छाया प्रति।
14. EKYC, आधार कार्ड नं. को खाते से लिंक कराना अनिवार्य है।
15. एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों के लिए, छात्रावासी प्रमाण पत्र (प्रारूप -3) की मूल प्रति अनिवार्य है।
16. छात्र/छात्रा का कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण पत्र (प्रारूप -4) की मूल प्रति अनिवार्य है।
17. बैंक खाता आधार से लिंक करवाने एवं NPCI Active करवाने संबंधी प्रमाण पत्र Annexure A / (प्रारूप -5) की मूल प्रति अनिवार्य है।

(छात्रवृत्ति संबंधी समस्त आवश्यक प्रारूप/प्रपत्र www.igccsagar.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।)

प्राचार्य
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)